उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–7
संख्या–583/पांच–7–2019
लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

लोक स्वास्थ्य के हित में डब्लू0एच0ओ0 के फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन टोबेको कन्ट्रोल (एफसीटीसी) के अनुच्छेद–5.3 की आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) का गठन निम्नवत किया जाता हैः–

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश	**अध्यक्ष**
प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, विधि विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, खाद्य रसद एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश	**सदस्य सचिव**
पुलिस विभाग, उ0प्र0 सरकार के पुलिस महानिरीक्षक स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
राज्य नोडल पदाधिकारी/राज्य सलाहाकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश	**संयोजक**

02– समिति यह सुनिश्चित करेगी कि तम्बाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने में संलग्न अनुलग्नक–'क' में दिये दिशा–निर्देश एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

वी0हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्याः– 583 (1)/पांच–7–2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समिति के सदस्यगण।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, स्वास्थ्य(समन्वय), राज्य सलाहाकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
4– मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5– राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।
6– अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

(शिव गोपाल सिंह)
उप सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–7 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–583/पांच–7–2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित अनुलग्नक 'क'

डब्लू0एच0ओ0 फ्रेमवर्क कन्वेन्सन (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को राकने हेतु गठित प्राधिकृत समिति के लिए दिशा निर्देश–

तम्बाकू उद्योग के हित एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों के बीच मौलिक टकराव रहता है। तम्बाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लोक हित नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा की जा सकती है। तम्बाकू उद्योग को किसी प्रकार की तरजीह, राज्य सरकार के तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के प्रतिकूल होगी। अतः इस मामले में सुस्पष्ट दिशा–निर्देश का रहना राज्य के लिए अत्यावश्यक है।

सामान्य दिशा निर्देश

1. लोक सेवक तम्बाकू उद्योग का कोई प्रतिनिधि किसी लोक सेवक के साथ बैठक करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में तम्बाकू उद्योग में किसी प्रकार का संपर्क अथवा पत्राचार करने के पूर्व यह मामला लिखित रूप में प्राधिकृत समिति के संज्ञान में लाया जायेगा।
2. तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि को प्रस्तावित बैठक की कार्यसूची लिखित रूप में स्पष्ट करनी होगी।
3. प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष एवं सचिव प्रस्तावित कार्यसूची की समीक्षोपरान्त निर्णय लेंगे कि प्रतिनिधि के साथ प्रस्तावित बैठक की जाय अथवा नहीं और सहमति की अवस्था में प्रस्तावित कार्यसूची को अंतिम रूप देंगे।
4. तम्बाकू उद्योग के द्वारा, प्राधिकृत समिति के सचिव को, प्रस्तावित बैठक से पूर्व उसमें भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों का नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराना होगा।
5. बैठक में विधि विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे बैठक के दौरान समिति के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देंगे।
6. बैठक के पूर्व, प्राधिकृत समिति द्वारा तम्बाकू उद्योग को लिखित रूप से यह स्पष्ट कर देना होगा कि बैठक में किसी प्रकार की साझेदारी अथवा पारस्परिक सहयोग अन्तर्निहित नहीं है एवं बैठक की प्रकृति को उनके द्वारा दुष्प्रचारित नहीं किया जायेगा।
7. बैठक सरकारी विभाग के परिसर में ही संचालित होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बैठक के दौरान लिया गया फोटोग्राफ मात्र दस्तावेजी साक्ष्य (documentation) के उद्देश्य ही लिया जाय, तम्बाकू उद्योग के जनसम्पर्क गतिविधि में उपयोग हेतु नहीं।
8. सभी सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधियों से दूरभाष, ई–मेल इत्यादि के माध्यम से पारस्पारिक संपर्क स्थापित करने से बचना चाहिए।

बैठक संचालित करने की प्रक्रिया

- बैठक संक्षिप्त होनी चाहिए और मात्र प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार ही होगी।
- बैठक को आवश्यकतानुसार किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्राधिकृत समिति के पास होगा।
- बैठक की एक विस्तृत कार्यवाही तैयार की जानी चाहिए। साक्ष्य हेतु बैठक की वॉयस/वीडिया रेकार्डिंग भी करायी जा सकती है।
- बैठक के दौरान उठाये गये किसी प्रश्न का उत्तर यदि बाद में दिया जाना हो तो उसे आवश्यक विचार–विमर्श/ छानबीन/अध्ययन के उपरान्त पत्राचार के माध्यम से दिया जाय।
- बैठक की सूचना यथोचित ढंग से प्रचारित की जायेगी।

लोक सेवकों के लिए आचार संहिता

1. सभी लोक सेवक, जिनकी तम्बाकू नियंत्रण संबन्धी लोक स्वास्थ्य नीतियों के निर्धारण अथवा कार्यान्वयन में भूमिका है वे :–

   अ. समिति के समक्ष निम्नलिखित घोषणा करेंगे :

   क. तम्बाकू उद्योग के साथ पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान कियाकलाप के बारे में, चाहे वह लाभकारी हो या नहीं

   ख. सेवा त्यागने के उपरान्त तम्बाकू उद्योग से सम्बन्धित किसी पेशागत कियाकलाप, चाहे वह लाभकारी हो
   या नहीं, से सम्बद्ध होने का कोई इरादा तो नहीं है।

   ब. वे पदग्रहण से 30 (तीस) दिनों के अन्दर, तम्बाकू उद्योग में अपने पद को त्याग देंगे और तम्बाकू उद्योग में अपने निवेश अथवा हित का 60 (साठ) दिनों के अन्दर परित्याग कर देंगे। इस नियम के प्रयोजनार्थ, तम्बाकू उद्योग में हित में मतलब व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य हित शामिल हैं, **उदाहरणार्थ**

   क. तम्बाकू उद्योग में कोई वर्तमान स्वामित्व या सीधा निवेश होना।

   ख. तम्बाकू उद्योग में निदेशक परिषद का कोई सदस्य होना निगम का कोई पदाधिकारी होना या साझेदार होना।

   ग. तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान प्राप्त करना।

   परन्तु उक्त सूची तक सीमित नहीं रहेगा।

   स. वे अपने, परिवारों, संबन्धियों, मित्रों अथवा अपने से संबद्ध किन्हीं अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान न तो मांगेंग न ही प्राप्त करेंगे। अंशदानों में भुगतान, उपहार, सेवाएं, नकद या वस्तु रिसर्च हेतु निधि प्राप्त करना, वित्तीय सहायता, पॉलिसी ड्रफ्ट एवं विधिक परामर्श शामिल होंगे परन्तु इस तक सीमित नहीं रहेगा।

2. इस बैठक के फलस्वरूप तम्बाकू उद्योग के साथ लोक सेवकों/ संबन्धित विभागों के मध्य वास्तविक या संभावित साझेदारी अथवा सहयोग की दुर्व्याख्या उत्पन्न नहीं हो। यदि ऐसा होता है तो उसे सार्वजनिक रूप से सुधारा जाय।
3. यदि किसी लोक सेवक को तम्बाकू उद्योग के किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुभूति होती है अथवा बिना पूर्व सूचना के तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा उससे संपर्क किया गया है तो वह इस संदर्भ में शीघ्रातिशीघ्र लिखित रूप में प्राधिकृत समिति को इसकी सूचना देंगे।

—0—